यालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
ठासीन अधिकारी : सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
जस्व विविध प्रकरण संख्या : 11/2020 GCMS NO 2020/00074
यरा तिथि : 04.08.2020
आदेश तिथि : 7-4-2022

ार्थी :–
दशरथसिंह पुत्र रुघनाथसिंह जाति राव
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
खीमाराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल
निवासी विरमपुरा तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 7-4-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 80 रकबा 3.36 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी टीपु पुत्री सोनाराम, दाकु पुत्री सोनाराम, मदनलाल पुत्र सोनाराम, मांगीलाल पुत्र सोनाराम, हरीलाल पुत्र सोनाराम जातिगण सरगरा निवासीगण भीटवाडा की खातेदारी भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 58 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से 30 फीट नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही खसरा नंबर 58 के खातेदार टीपु वगैरा को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलवी में लंबित रहते हुये वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.09.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भूमि का बेचान खीमाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल निवासी विरमपुरा तहसील देसूरी को कर दिया है, अतः प्रकरण में खरिदकर्ता खीमाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल निवासी विरमपुरा को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी अभी शेष होने तथा कोई अन्य अधिवक्ता नहीं होने से वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये खरिदकर्ता खीमाराम को बतौर अप्रार्थी प्रकरण में पक्षकार बनाने के आदेश दिये तथा इसी अनुसार संशोधित शीर्षक भी अधिवक्ता प्रार्थी को प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। प्रकरण में नव सृजित अप्रार्थी खीमाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल निवासी विरमपुरा तहसील देसूरी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णा सुथार द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी खीमाराम स्वयं के द्वारा दिनांक 01.10.2021 को ईकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुये धारित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1504/58 रकबा 0.06 हैक्टर संपुर्ण प्रार्थी के खातेदारी तक पहुँचने के लिये रास्ता प्रयोजन दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने भी जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/405 दिनांक 17.02.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 80 रकबा 3.36 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी दशरथसिंह पुत्र रुगनाथसिंह वगैरा की भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजुद नहीं हैं। व वर्तमान में इसी मार्ग से ही आवागमन करते हैं।
2. प्रस्तावि रास्ता ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 58 जो नक्शे में तरमीम के पश्चात् 1504/58 रकबा 0.06 हैक्टर हो गये हैं, जिसके खातेदार राजस्व रेकर्ड के अनुसार श्री खीमाराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल निवासी विरमपुरा तहसील देसूरी है।
3. . रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1504/58	0.06	बा.प्र.	100X6 = 600 वर्गमीटर यानि 0.06 हैक्टर	श्री खीमाराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल निवासी विरमपुरा तहसील देसूरी

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 11/2020 GCMS NO 2020/00074
अनवान दशरथसिंह बनाम खीमाराम
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम भीटवाडा की डी.एल.सी.दर 142020/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं है, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं है

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तथा साथ ही अप्रार्थी खीमाराम द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है।

अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी माफिक तहसीलदार, बाली स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि भीटवाडा तहसील बाली नंबर 80 रकबा 3.36 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **भीटवाडा** के खसरा नंबर **1504/58 कुल रकबा 600 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर **142020/– प्रति** हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1504/58	0.06	100X6 =600 वर्गमीटर यानि 0.06 हैक्टर	14.20	8520X2= **17040**	श्री खीमाराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल निवासी विरमपुरा तहसील देसूरी

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **17040/– (अक्षरे सत्रह हजार चालीस)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री प्रियंका [illegible])
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/रास्ता/2022/957-61 दिनांक 11-4-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ व सूचनार्थ प्रेषित है:–
1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्क, भीटवाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थी दशरथसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner